उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-298-2023/887/-41-1-2023-सीएन-178809-2024
लखनऊ:: दिनांक 07 मार्च, 2024

शुद्धि-पत्र

जनपद कुशीनगर में ग्रामसभा लतवा मुरलीधर में प्राचीन शिव मंदिर एवं तालाब का पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-168/2024-41-1-2024- सी0एन01783809-2024, दिनांक 19 फरवरी, 2024 द्वारा धनराशि रू0 130.35 लाख (जी0एस0टी0सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में अंकित रूपये 50.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) के स्थान पर रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनदेश दिनांक 19 फरवरी, 2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3 महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या- 9603/6-1-1(482)/2023-24, दिनांक 06 मार्च, 2024 के संदर्भ में।
4 निजी सचिव, मा0 मंत्री पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 जिलाधिकारी, कुशीनगर ।
6. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशाय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक 5,6,7,8,10 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. उप निदेशक, पर्यटन, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in